

मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त-सितम्बर, 2001 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 14 सितम्बर, 2001 (भाद्र 23, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन दिनांक 31 मार्च, 2000 को समाप्त वर्ष का -

(क) क्रमांक-2 (वाणिज्यिक),

(ख) क्रमांक-3 (सिविल); तथा

(ग) क्रमांक-4 (सिविल),

पटल पर रखेंगे.

(2) श्री हजारीलाल रघुवंशी, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री, मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1995 (क्रमांक 19 सन् 1995) की धारा-11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 9-83-2000-तेईस-यो-दो, दिनांक 28 मार्च, 2001 पटल पर रखेंगे.

(3) श्रीमती उर्मिला सिंह, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश आदिम जनजातियों का संरक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम, 1999 (क्रमांक 12 सन् 1999) की धारा-11 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 23-4-99-पच्चीस-5, दिनांक 14 जुलाई, 2000 पटल पर रखेंगी.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, ग्वालियर जिले की डबरा तहसील में स्थित हरसी बांध की नहरों की मरम्मत न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्यमंत्री, जल संसाधन का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री राजमणि पटेल, सदस्य, रीवा जिले के डभौरा तथा सेमरिया क्षेत्रों में डकैतों का आतंक होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री अनूप मिश्रा, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, भोपाल के न्यू मार्केट स्थित सब-वे में दुकानों के आवंटन में अनियमितता होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री बृजमोहन बद्दीनारायण, सदस्य, देवास जिले के पीपलनौरिया में एक आदिवासी की हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री जयंत कुमार मलैया, सदस्य, दमोह में गृह निर्माण मंडल द्वारा आश्रयहीन योजना के तहत भू-खण्ड आवंटन में अनियमितता होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री चिड़ाभाई डाबर, सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम रासखेड़ी में दो महिलाओं के साथ बलात्कार कर हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सुश्री कौशल्या गोंटिया, सदस्य, जबलपुर जिले के पनागर विकास खंड में निर्मित बलेहा तालाब की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर उप मुख्य मंत्री, जल संसाधन का ध्यान आकर्षित करेंगी.

(8) सर्वश्री धरमू राय, मुन्नासिंह, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, गुना जिले में उल्टी-दस्त व बुखार से आदिवासी बच्चों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले में मेडिकल स्टोर्स पर प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री होने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, भोपाल स्थित केन्द्रीय जेल में उपचार के अभाव में कैदी की मौत होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री नरेन्द्र बिरथरे, डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, भोपाल एवं समीप के जिलों में मलेरिया व आंत्रशोथ का प्रकोप होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री रावदेशराज सिंह यादव, सदस्य, सागर जिले के ग्राम कजिया निवासी एक व्यक्ति की दिन वहाड़े हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, भोपाल में मुरैना क्षेत्र के विधायक पर हमला किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) कुंवर विजय शाह, सदस्य, खंडवा जिले के ग्राम रतनपुर अंबरिया में एक आदिवासी बालक का अपहरण कर हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), सदस्य, सीहोर में एक हत्या के अपराधियों पर कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) कुंवर विजयबहादुर सिंह बुंदेला, सर्वश्री राजेन्द्र भारती (दतिया), रसाल सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम घटहरी निवासी एक व्यक्ति की पुलिस प्रताड़ना से मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, सागर जिले के राहतगढ़ में लूट की घटना होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

